न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 02/2018

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. झीपरराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी नाड़सर तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. सुमेरसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी नाड़सर तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 2. चन्दनसिंह पुत्र नरपतसिंह के का0मु0 2/1 छाव कंवर पत्नी चन्दनसिंह 2/2 गोवर्धनसिंह पुत्र चन्दनसिंह 2/3 देवेन्द्रसिंह पुत्र चन्दनसिंह हाल निवास मकान नम्बर 47/31 रूपगिरि नगर नांदड़ी जोधपुर 3. आनन्दसिंह पुत्र नरपतसिंह 4. अजितसिंह पुत्र नरपतसिंह 5. राजेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह 6. गिरधारीसिंह पुत्र नरपतसिंह 7. गजेसिंह पुत्र नरपतसिंह 8. रामकंवर पत्नी नरपतसिंह 9. रेखाकंवर पुत्री नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी नाड़सर तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 10. तहसीलदार भोपालगढ़

<u>राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः–

1. श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 03, 06, 08 से 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. श्री परसराम चौधरी, मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 04, 05, 07

–:: निर्णय ::– दिनॉकः–24/02/2021

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

1. राजस्व ग्राम नाड़सर तहसील [illegible] की सरहद में भूमि खसरा नं. 1475/2 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा क[illegible] की [illegible] आई हुई है, जो कटाणी रास्ता पर स्थित नही है। यह है कि [illegible] नं. 1[illegible] जमीन रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी ... गढ़

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का जो आबादी भूमि के पास चिपता हुवा है जिसमें से होकर प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार कृषि कार्य करने हेतु आते जाते है।

2. यह है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत में आने जाने हेतु एक मात्र एवं सबसे नजदीक रास्ता नजरिये नक्शा 'अ ब स द' है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, नजरिये नक्शा ' अ ब स द' के दोनो तरफ मकान बने हुवे है तथा अप्रार्थीगण के पिता नरपतसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी नाड़सर द्वारा नजरिये नक्शा ' अ ब स द' की भूमि का इकरार बेचान प्रार्थी के हक में कर कब्जा सौंप दिया तथा आज दिन तक रास्ता मौजूद है लेकिन अप्रार्थीगण लोग बहकावा में आकर नजरिये नक्शा ' अ से ब' स्थान पर पत्थर डाल कर रास्ता अवरूध कर दिया गया तथा प्रार्थी को दिनांक 01.02.2018 को धमकियां दी गयी कि यदि आप नजरिये नक्शा के स्थान ' अ से ब' के स्थान से पत्थर हटा दिया जायेगा तो जान माल का नुकसान हो सकता है तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से समझाईश से कोशिश की लेकिन वो नही माने जो वाद कारण आज भी जारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम नाड़सर की सरहद में भूमि खसरा नं. 1472/मिन रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा में नजरिये नक्शा ' अ ब स द' स्थान पर 12 फीट चौड़ा रास्ता सार्वजनिक घोषित किये जाने का निवेदन किया तथा उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी आदेशानुसार शुल्क जमा करवाने को तत्पर तैयार है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03, 06, 08 से 09 बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 04, 05, 07 की ओर से श्री परसराम चौधरी, मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थनापत्र में दर्शायी गयी भूमि ग्राम नाड़सर की सरहद में खसरा नं. 1472/मिन अप्रार्थीगण की भूमि नही है। अप्रार्थीगण की भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा नं. 1472/3 है। उक्त भूमि पर से प्रार्थी का कभी भी आवागमन नही हुआ। अप्रार्थीगण का स्वयं का खेत कटाणी रास्ते पर आया हुआ नही है और न ही अप्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 1472/3 राजस्व रेकर्ड में तरमीम है तथा अप्रार्थीगण का उक्त खसरे में आवासीय मकान व टांका बना हुआ है। अप्रार्थीगण के दक्षिण दिशा की तरफ भी सरकारी भूमि आयी हुयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों के आधार पर सारहीन से खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करे।

4. तहसीलदार भोपालगढ़ की ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें बताया कि नजरी नक्शे को देखने पर पाया गया कि प्रार्थी के खेत [illegible] रास्ता नही लगता है। प्रार्थी के लिये अप्रार्थीगण की जमीन मौका फर्द में नजरी नक्शे [illegible] A से B बिन्दु से आना जाना ही निकटतम पड़ता है जो जमीन अभी मौके पर खाली पड़ी है। यह रास्ता प्रार्थी को दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

जाता है तो अत्यावश्यक प्रकृति का होगा। यह प्रार्थी की सुविधाजनक स्थिति को बढाने वाला नही होगा। इस प्रकार ग्राम नाड़सर के खसरा नं. 1472/3 में A से B बिन्दु तक 20 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाना अत्यावश्यक है जिससे प्रार्थी काश्त कर सके। मौका फर्द निर्णय का भाग रहेगा।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं वकुलाय उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका फर्द अनुसार ग्राम नाड़सर के खसरा नं. 1472/3 में A से B बिन्दु तक 20 फुट चौड़ाई का आम रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते की कुल भूमि 0–03–12 बीघा है। तहसीलदार भोपालगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते की भूमि में उपयोग आने वाली भूमि का नाप चौप कर नियमानुसार DLC दर की दुगुनी राशि को विधिक खातेदारों को भुगतान हेतु प्रार्थी से जरिये डीडी अथवा चैक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करें। तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक कटानी रास्ता का अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपिमय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ़ को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक **24/02/2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner